<u>कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।</u>

<u>प्रेस-नोट</u>

दिनांकः- 12.01.2026

<u>विषयः- थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कफ सीरप मामले से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।</u>

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराधों की रोकथाम तथा चोरी/लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के कुशल नेतृत्व में कफ सिरप से संबधित थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 235/2025 धारा 26 डी एनडीपीएस एक्ट व बढ़ोत्तरी धारा 61(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त का नाम साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में लाकर थाना कोतवाली पर पूछताछ कर अभियुक्त के विरुद्ध घटना से संबंधित पर्याप्त एवं पुष्टिकारक साक्ष्य पाये जाने पर नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>घटना का विवरणः-</u> प्रकाश में आये / गिरफ्तारशुदा अभियुक्त आदित्य जायसवाल मुकदमा उपरोक्त में वांछित / फरार चल रहे अभियुक्त शुभम जायसवाल का मौसेरा भाई है। जिसकी दुकान श्री स्वास्तिक फार्मा के नाम से है जो सप्तसागर दवा मण्डी में स्थित है जिसका प्रोपराइट व कम्पीनेन्ट पर्सन आदित्य जायसवाल ही है । आदित्य जायसवाल यह दुकान करीब सात आठ साल पहले से चला रहा है । शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल ने शैली ट्रेडर्स के नाम से कम्पनी रांची झारखण्ड में खोली थी जिसकी देखरेख शुभम जायसवाल व उसके पिता भोला प्रसाद करते थे। करीब दो वर्ष पहले शुभम जायसवाल ने अपने मौसेरे भाई आदित्य जायसवाल के साथ मिलकर जो फर्मे शुभम जायसवाल व अन्य अभियुक्तो द्वारा आपराधिक षडयंत्र के तहत मात्र फर्जी टैक्स इनवाईस बिल व ई बिल बनाने हेतु खुलवाई गयी थी ताकि फेंसीडिल कफ सीरप को मात्र कागजातों में दिखाकर उसकी सप्लाई कई अंयत्र करके अधिक लाभ में बेचा जा सके उसी में से एक फर्म जिसका नाम शिव इण्टर प्राइजेज था उसी में नगद पैसा जमा करने के लिए आदित्य जायसवाल को आपराधिक षडयंत्र के तहत काम सौपा गया था आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से आदित्य जायसवाल द्वारा अपनी फर्म श्री स्वास्तिक फार्मा के कामो के साथ फेंसीडिल कफ सीरप जिसके फर्जी टैक्स इनवाईज बिल व ई वे बिल बनाकर कोडिन युक्त कफ सीरप को शिव इण्टर प्राइजेज को दिया जाता था जिसमें नकद पैसा जमा करने के लिए शुभम जायसवाल द्वारा अपने चचेरे भाई आदित्य जायसवाल को दिया जाता था जिसके द्वारा इण्डियन बैंक की शाखा पीली कोठी में जाकर नगद रुपये शिव इण्टर प्राइजेज के खाते में जमा किया जाता है जिसका सत्यापन शाखा के बैंक प्रबन्धक द्वारा भी किया गया । अभियुक्त आदित्य जायसवाल को पूरी जानकारी पहले से ही थी कि शुभम जायसवाल व अन्य अभियुक्तों द्वारा फेंसीडिल कफ सीरफ का काला बाजारी करके आर्थिक लाभ लिया जा रहा है और अभियुक्त आदित्य जायसवाल भी इन लोगो के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहा था जिसके द्वारा करीब एक करोड़ रुपये नगद के रुप में जमा किया गया है जिसके पर्याप्त साक्ष्य उपलबध है।

विवरण पूछताछः- अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि शुभम जायसवाल मेरे मौसी के लड़के है और भोला प्रसाद जायसवाल मेरे मौसा है। शुभम जायसवाल व मेरे मौसा द्वारा मिलकर दवा का व्यापार करके पैसा कमाने के बारे में बताया गया मुझे पूरी घटना की जानकारी थी कि ये लोग मिलकर प्रतिबंधित कफ सीरफ का काला बाजारी करके अत्यधिक लाभ कमा रहे थे और ये लोग जो काम करते थे पूरा लिखा पढ़ी में करते थे शुभम जायसवाल कहता था कि जो दवा की सप्लाई हो रही है वो आन पेपर होती है और जिसका टैक्स भी जमा होता है कागजो से कोई भी नही पकड़ पायेगा इसलिये डरने की बात नही है तुम काम करो और पैसा कमाओं जिस पर मैं भी उन लोगो के साथ मिलकर यह गलत काम करने लगा था मेरे द्वारा इण्डियन बैंक की शाखा पीली कोठी में जाकर नगद रुपये जमा किये जाने का काम किया जाता है मुझे पैसा शुभम जायसवाल देते है और मैं उसको ले जाकर बैंक में जमा कर देता था गलती से मैने एक स्लिप पर अपना नाम व मो0नं0 लिख दिया था जिस कारण से मैं पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- आदित्य जायसवाल पुत्र स्व0 सन्तोष कुमार जायसवाल निवासी सीके-49/1सी-3 जालपा देवी थाना चौक जनपद वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान - दिनांक- 12.01.2026 को, स्थानः- थाना कोतवाली।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 दयाशंकर सिंह, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।
2. उ0नि0 अंकित सिंह, थाना कोतवाली कमि0 वाराणी।
3. उ0नि0 मनीष सिंह, थाना जैतपुरा, कमि0 वाराणसी।
4. का0 अखिलेश कुमार, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।
5. का0 शिवाजी चन्द, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी